


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

श्रे. नं. 5/123
निवेदन संदिग्ध
नहीं चाली है
इसके द्वारा
6/2/22
भूगना



सुनिता

लक्ष्मी

आरती

इसके द्वारा

सी. वी. रॉय

७/२

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। वादिया ने उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया तथा राजीनामा के अनुसार प्रकरण निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादीगण संख्या- 1 तां 4 अवालतन उपस्थित। पक्षकारों को सुना तथा राजीमाना का अवलोकन किया गया। पक्षकारों को राजीनाम पढकर सुनाया तथा स्वीकार किये जाने पर तस्दीक किया गया। राजीनामा के अनुसार वादिया इस प्रकरण को अब आगे चलाना नहीं चाहती है।

अतः वाद वादिया बाबत स्थायी निषेधाज्ञा इस स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रवली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

2
(रतनलाल योगी)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी, टोंक